न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 79/2019

प्रार्थीगण :–

1 पुखाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट
2 मांगीलाल पुत्र मोहनलाल जाति सैन
3 पुखराज पुत्र लाबूराम जाति सेवदा
4 रामाराम पुत्र गिरधारीराम जाति देवासी
5 हरिराम पुत्र बींजाराम जाति रावणा नि0 नयागांव, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 चांद कंवर पत्नि बंशीधर, जाति ब्राहाम्ण, नि0 नयागांव, तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

1. श्री अर्जूनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 10/8/22

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का विरूद्व अप्रार्थीया इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी या ने माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे एवं मनघड़त तथ्यों के आधार पर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 188 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद पत्र के साथ प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया एवं अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.02.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0 पत्र को सुनकर खसरा संख्या 496 रकबा 0.9500 है0, मौजा नया गांव मे यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया, उस आदेश की पालना में यह अवमानना का प्रा0 पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों का अभिवचन कर प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है एवं माननीय न्यायालय को उक्त प्रा0 पत्र का झूठा विश्वास दिलाकर उक्त आदेश पारित करवाया गया, जबकि अप्रार्थीया का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा, केवल मात्र तथ्यों के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 26.06.1989 पारित किया गया, उसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के यहां आवंटन आदेश को निरस्त करने बाबत् अपील अन्तर्गत धारा 75 प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है। आवंटन आदेश दिनांक 26.06.1989 बिना कारण के झूठे के शपथ–पत्र व प्रा0 पत्र में गलत तथ्यों का इन्द्राज कर प्राप्त किया गया है, उसके उपरान्त भी अप्रार्थीया ने स्वयं स्वीकार किया कि मौके पर प्रार्थीगण कब्जा है, जिसके विरूद्ध वादपत्र व स्थगन प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया तथा बिना अनुमति वादग्रस्त कृषि भूमि का टांका निर्माण करवा दिया गया है, उनको तुरन्त प्रभाव से हटाया जावें तथा कब्जा दिलाया जावें की प्रा0 की, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थीया का कभी मौके पर कब्जा नही रहा, न ही आवंटन आदेश की पालना हल्का पटवारी ने मौके पर आकर की, अप्रार्थीगण वर्षो से यानि दो पीढी से मौके पर काबिज है तथा उनके पहले से ही पानी के टांके अपने मवैशी को बांधने के लिए बाड़े एवं कृषि की उपज, चारा जलाउ लकड़ी व खेती करने के उपकरण इत्यादि रखने के बाड़े, हत्था एवं निर्माण वर्षो पूर्व का बना हुआ है, उसके उपरान्त भी माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीया ने झूठे तथ्यो एवं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 24.02.2021 को आदेश प्राप्त किया, उस आदेश की अव्हेलना कर अप्रार्थीया ने मौके की यथास्थिति को भंग किया तथा मौके पर निर्माण सामग्री, पत्थर इत्यादि डाले है, जो गलत है, बिना कब्जे के सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री डाली है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थीया एवं उसके पति व पुत्रगण व्यापारी है तथा दक्षिणी भारत में उनका व्यापार व्याख्यात है तथा बड़े साहूकार की हैसियत रखते है एवं मौके की आड़ में असामाजिक तत्वों से मिलकर सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री खसरा संख्या 496 मौजा नया गांव में डलवायी तथा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2021 की अव्हेलना कर मौके की यथास्थिति को भंग किया है, जिसके फोटोग्राफस प्रा0 पत्र के संलग्न है तथा अप्रार्थीया ने सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण सामग्री डाली है, जिससे रास्ता अत्यधिक संकरा हो गया है, उसे तुरन्त प्रभाव से हटाया गया तो वर्षा ऋतु में काश्तकारो को निकलने में अत्यधिक परेशानी होगी तथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी नुकसान की भरपाई अंको में करना असंभव है, इसलिए अप्रार्थी को निर्देशित किया जावे कि मौके से निर्माण सामग्री तुरन्त हटावे तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने में सहयोग बनावें ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हो सकें। विवाद ग्रस्त जायदाद के सार्वजनिक स्थान पर अप्रार्थीया ने पत्थर व निर्माण सामग्री डाली गई है, ऐसे में यही प्रतीत होता है कि अप्रार्थीया अतिशीघ्र निर्माण कर सकती है, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को टोका तथा पत्थर क्यों डाले, के बारे में पूछा तो प्रार्थीगण के सामने ही अप्रार्थीया ने कहा कि किसी भी सूरत में काम को नहीं रोकना है, न्यायालय के स्टे की तो मैं भूंगली बनाकर रख दूंगी तथा कहा कि मेरे प्रा0 पत्र यथास्थिति बनाये रखने के लिए आपको पाबंद किया है, मुझे नही किया, तो मै कुछ भी कर सकती है, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मै आपके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवा दुंगी, इत्यादि धमकिया दी, इस प्रकार अप्रार्थीया का कृत्य माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2021 की अव्हेलना की श्रेणी में आता है और ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया को सिविल जेल भुगताई जाना न्याय संगत है, इस हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीया द्वारा विवादग्रस्त जायदाद पर अवैधानिक रूप से निर्माण सामग्री डालने तथा निर्माण करने की धमकी दी जा रही है, जिसकी सूचना पुलिस थाना शिवपुरा को दिये जाने के बावजूद भी पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है, बल्कि थाना अधिकारी ने प्रार्थीगण को धमकाया कि यदि मौके पर निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की तो जेल मे डाल दूंगा, जिससे अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास नही होने से न्यायालय हाजा में अवमानना का प्रा0 पत्र पेश किया है, ताकि मौके पर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना हो सके एवं शांति कायम की जा सकें। कारणवाद दिनांक 24.02.2021 को न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त स्थल की मौके की यथास्थिति रखने के आदेश पारित करने के पश्चात भी अप्रार्थीया नियमित रूप से विादग्रस्त स्थल पर निर्माण सामग्री डालने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0 पत्र न्यायालय में विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2021 न्यायालय हाजा द्वारा पारित किये जाने एवं वादग्रस्त जायदाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रा0 पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रा0 पत्र पेश कर अधिक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया द्वारा बावजूद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)

स्थगन के जानबूझकर विवादग्रस्त स्थल पर जो अवैध निर्माण सामग्री डाली है, उसे पुनः अप्रार्थीया के खर्चे से हटवाई जाकर वाद प्रस्तुति दिन जो मौके की स्थिति बनी थी वो कायम करवायी जावे तथा प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायाला हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानबूझकर अव्हेलना करने से उसे सिविल जेल भुगताई जावे, अन्य कोई सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो, तो न्यायालय प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को वास्ते जबाब प्रा0 पत्र नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अप्रार्थीया सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री खसरा संख्या 496 मौजा नया गांव में डलवायी तथा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2021 की अव्हेलना कर मौके की यथास्थिति को भंग किया है। अप्रार्थीया द्वारा बावजूद स्थगन के जानबूझकर विवादग्रस्त स्थल पर जो अवैध निर्माण सामग्री डाली है, उसे पुनः अप्रार्थीया के खर्चे से हटवाई जाकर वाद प्रस्तुति दिन जो मौके की स्थिति बनी थी वो कायम करवायी जावे तथा प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानबूझकर अव्हेलना करने से उसे सिविल जेल भिजवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.02.2021 में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आधार मानकर अधिवक्ता मय पार्थी द्वारा उक्त कन्टमेन्ट की कार्यवाही प्रस्तुत की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.02.2021 में अप्रार्थीगण को प्रार्थित भूमि के मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था न की प्रार्थीगण को लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 2 (अ) पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 39 नियम 2(अ) सीपीसी का आधारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोपाल जोगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/8/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जोगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)